HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनांक 04.03.2023

जनपद हमीरपुर~ प्रभावी पैरवी कर गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को अधिकतम 02 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 28.12.2004 को थाना बिवार, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 282/04 अन्तर्गत धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त अनूप पुत्र निरपत सिंह लोधी निवासी गोहन थाना गोहन जनपद जालौन को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय (गैंगेस्ट एक्ट) द्वारा अधिकतम 02 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई। अभियुक्त को सजा दिलाने में प्रभारी निरीक्षक बिवार- संजय सिंह, एडीजीसी सुशील त्रिपाठी, पैरोकार बिवार- कॉन्स्टेबल विद्यासागर यादव का सराहनीय योगदान रहा है।